भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 245
21 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आग लगने की दुर्घटना

245 **डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) में हाल ही में हुई आग लगने की दुर्घटना में हुई मौतों और घायल हुए श्रमिकों का ब्यौरा तथा इनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस आग लगने की दुर्घटना में हुई मौतों और घायल हुए श्रमिकों के परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का इस दुर्घटना में मारे गए उन श्रमिकों के पात्र परिवार के सदस्य को स्थायी नौकरी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): विशाखापत्तनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के इस्पात संयंत्र की स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस-2) में दिनांक 8 जून, 2026 को एक दुर्घटना घटित हुई, जिसके परिणामस्वरूप पिघला हुआ इस्पात फैल गया। इस दुर्घटना में दस (10) कर्मचारियों की जान चली गई, जिनमें पांच (5) नियमित कर्मचारी और पांच (5) संविदा कर्मचारी शामिल थे, और चार (4) नियमित कर्मचारी घायल हो गए।

प्रत्येक मृतक नियमित और संविदा कर्मचारी के परिवार को स्वीकार्य अंतिम लाभों के अतिरिक्त 25 लाख रुपये की अनुग्रही राशि का भुगतान किया गया है। प्रत्येक घायल कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मृतक कर्मचारी के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रही राशि स्वीकृत की गई है, जबकि प्रत्येक घायल कर्मचारी को 50,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, प्रत्येक मृतक नियमित और संविदा कर्मचारी के एक (1) पात्र आश्रित परिवार के सदस्य को आरआईएनएल में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

*****